महिला एंव बाल विकास विभाग, उज्जैन संभाग

1. कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक,एकीकृत बाल विकास सेवा

नाम :– डॉ. संध्या व्यास

पद नाम :– संभागीय संयुक्त संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवा

कार्यालय का पता :– कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक,एकीकृत बाल विकास सेवा,

बाल भवन, विक्रम कीर्ति मंदिर परिसर, कोठी रोड, उज्जैन

फोन :– 0734–2521915, फैक्स 0734–2521915

मो.नं. – 8989277306

ई–मैल :– jdwcdujj@mp.gov.in

2. कार्यालय संभागीय उपसंचालक, महिला सशक्तिकरण

नाम :– सुश्री प्रेमा सेठी

पद नाम :– संभागीय उपसंचालक, महिला सशक्तिकरण

कार्यालय का पता :– कार्यालय संभागीय उपसंचालक, महिला सशक्तिकरण

31–32/1, वल्लभ नगर, नांलदा एकेडमी के सामने, उज्जैन म.प्र.

फोन :– 0734–2513020

मो.नं. – 9425985344

ई–मैल :– jdwcdujj@mp.gov.in

1. कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक,एकीकृत बाल विकास सेवा उज्जैन संभाग

संभाग परिचय

➢ उज्जैन संभाग में कुल 06 जिलें है। जो निम्नानुसार है :–

- उज्जैन
- देवास
- शाजापुर
- रतलाम
- मंदसौर
- नीमच

➢ उज्जैन संभाग में कुल 58 आययीडीएस परियोजनाऐं संचालित है।

➢ उज्जैन संभाग अन्तर्गत कुल 8681 आंगनाड़ी केन्द्र तथा 1184 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है।

➢ वर्ष 2012–13 संभाग अन्तर्गत 491 नवीन अतिरिक्त आंगनवाडी केन्द्र स्वीकृत हुये हैं । जिनके संचालन की कार्यवाही प्रचलन में हैं ।

<u>उज्जैन संभाग अन्तर्गत आंगनवाडी केन्द्रों की संख्या की जानकारी</u>

कं	जिले का नाम	परियोजनाओं की संख्या	कुल आंगनवाडी	2012–2013 में नवीन स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र
1	उज्जैन	14	1888	00
2	देवास	09	1493	142
3	शाजापुर	10	1301	220
4	रतलाम	10	1620	52
5	मन्दसौर	09	1499	00
6	नीमच	06	880	77
	योग	**58**	**8681**	**491**

एकीकृत बाल विकास सेवा :–

एकीकृत बाल विकास परियोजना द्वारा निम्नानुसार सेवायें दी जा रही हैं ।

1 पूरक पोषण आहार
2 स्वास्थ्य जॉच
3 टीकाकरण
4 पोषण एंव स्वास्थ्य शिक्षा
5 स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा

उद्देश्य :–

1➛ 0–6 वर्ष के आयु के बच्चों के पोषण स्तर तथा स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाना।

2➛ बच्चों की सही मानसिकता, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की नीव डालना।

3➛बच्चों की मृत्युदर, कुपोषण तथा पाठशाला को छोडने की प्रवृत्ति को कम करना।

4➛माताओं में ऐसी भवना का विकास करना जिससे वे बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य तथा उनके आहार संबंधी आवश्यकताओं का स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा की सहायता में ध्यान रख सकें।

1 बाल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति तथा मार्गदर्शन में प्रभावशाली समन्वय (मेल–जोल) स्थापित करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये समेकित बाल विकास परियोजना अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रो का संचालन किया जारहा हैं ।

क्र	सेवा का नाम	हितग्राही वर्ग
1	2	3
1	अनौपचारिक शिक्षा	3–6 वर्ष के बच्चो के लिये
2	टीकाकरण	0से 6 वर्ष तक के बच्चे एंव गर्भवती
3	पूरक पोषण आहार	6 माह से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती, पोषक माताऐं
4	स्वास्थ्य जांच	0से 6 वर्ष तक के बच्चे एंव गर्भवती,पोषक माताऐं
6	स्वास्थ्य पोषाहार शिक्षा	15 से 45 वर्ष आयु की महिलाओं के लिये

–:महिला एंव बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाऐें :–

मंगल दिवस :–

महिला बाल विकास विभाग द्वारा अप्रैल 2007 से योजना का प्रारंभ किया गया है कि, प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में प्रत्येक माह के प्रति मंगलवार को बच्चों, महिलाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधि आयोजित की जाती है जो निम्नानुसार है :–

क्र	निर्धारित दिन	गतिविधि	हितग्राही
1	प्रथम मंगलवार	गोद भराई कार्यक्रम	सभी गर्भवती महिलाएं
2	द्वितीय मंगलवार	अन्नप्राशन कार्यक्रम	06 माह तक के सभी बच्चें
3	तृतीय मंगलवार	जन्म दिवस कार्यक्रम	0–6 वर्ष तक के सभी बच्चें
4	चतुर्थ मंगलवार	किशोरी बालिका दिवस	सभी किशोरी बालिकायें 11 से 18 वर्ष

गोद भराई कार्यक्रम :–

प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को आंगनवाड़ी केन्द्रो में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को 07 माह पूर्ण होने पर आंगनवाड़ी केन्द्र एक समारोह आयोजित कर गर्भवती महिला की गोद भराई रस्म की अदायगी की जाती है जिसमें उक्त महिला को श्रीफल, सिंदूर, चूडी, बिंदी आदि भेंट स्वरूप प्रदान की जाती है। इस आयोजन के लिए माह में एक बार 50/– प्रति आंगनवाड़ी के मान से राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है।

अननप्राशन कार्यक्रम :–

प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत प्रत्येक वह बच्चा जिसकी उस माह में 06 माह की आयु पूर्ण हो चुकी हो। ऐसे बच्चों को आंगनवाडी केन्द्र में एक समारोह आयोजित कर उक्त बच्चों का अन्नप्राशन प्रारंभ कराने के लिए कटोरी, चम्मच इत्यादि भेट स्वरूप प्रदान की जाती है। इस आयोजन के लिए माह में एक बार 50/– प्रति आंगनवाड़ी के मान से राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है।

जन्मदिवस कार्यक्रम :–

प्रत्येक माह के तृतीय मंगलवार को आंगनवाड़ी केन्द्र के पंजीकृत 1 से 6 वर्ष की आयु के समस्त ऐसे बच्चे जिनका उस माह में जन्म दिवस हो, को एक समारोह आयोजित कर उस बच्चे का जन्म दिवस आंगनवाड़ी केन्द्र में मनाया जाता है। ऐसे बच्चों को पुरस्कार स्वरूप पेन्सिल,

चित्रकारी युक्त किताब, रबर, पानी की बाटल आदि आयटम उपहार स्वरूप दी जाती है। इस आयोजन के लिए माह में एक बार 50/– प्रति आंगनवाड़ी के मान से राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है।

किशोरी बालिका दिवस :–

प्रत्येक माह के चतुर्थ मंगलवार को आंगनवाड़ी केन्द्र में दर्ज 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को उक्त दिवस रांगोली प्रतियोगिता सामान्य ज्ञान एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं या अन्य कोई रूचिकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन के लिए माह में एक बार 50/– प्रति आंगनवाड़ी के मान से राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है।

मंगल दिवस योजनाअन्तर्गत वर्ष 2012–13, माह जुलाई 2012 तक संभाग में लाभान्वित हितग्राही

क्रं	जन्म दिवस	गोद भराई	अन्न प्राशन	किशोरी शक्ति	कुल लाभान्वित
01	67529	76602	168104	216188	528423

अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन

संभाग में किये गये नवाचार

संभाग के समस्त जिलों में किये गये कार्य :–

1. संभाग के समस्त जिलों में जनसहयोग से कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वावास केन्द्र में भर्ती कराने हेतु प्रत्येक जिले में एक–एक मोबाईल वैन ''अटल बाल एक्सप्रेस'' जनसहयोग से प्राप्त की गई जिससे नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार का कार्य किया जा रहा है।
2. वृद्धि निगरानी सेवा के समुचित संपादन हेतु समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों पर झूला कुर्सी की व्यवस्था की गई एवं उसका उपयोग किया जा रहा है।
3. संभागभर मे अधिकांश मुख्य मार्गों एवं रोड पर अटल बाल मिशन, शिशु एवं बाल पोषण परामर्श, आंगनवाड़ी सेवा, आदि के प्रभावी संदेश अंकित किये गये।

4. पालको के लिये शिशु एवं बाल पोषण परामर्श की विस्तृत जानकारी के फोल्डर ''देखभाल'' संभाग स्तर पर तैयार किये जाकर जिलों को उपलब्ध कराये गये। जिन्हे जिले अपनी आवश्यकता अनुसार मुद्रित कराकर वितरण करते है।

<u>एन.आर.सी</u>. :— उज्जैन संभाग में 33 पोषण पुनर्वास केन्द्र है जिसमें अति कम वजन के 5176 बच्चों को वर्ष 2011—12 में तथा 1829 बच्चों को वर्ष 2012—13 के प्रथम त्रैमास में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है।

<u>अति कम वजन के बच्चों के परिवारों को विभिन्न योजनाओं का लाभ :—</u> अति कम वजन के बच्चों की संख्या 16833 हैं। जिनमे से 9567 परिवारों को विभिन्न आजीविका मूलक योजना यथा मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कपील धारा, नंदनफलोउद्यान,टी.एस.सी. आदि योजनाओं का लाभ दिया गया।

कार्यालय संभागीय उपसंचालक, महिला सशक्तिकरण

योजनाऐं

लाडली लक्ष्मी योजना :– प्रदेश में बालिकाओं के शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति मे सुधार लाने, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने, बालिका भ्रूण हत्या रोकने और बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने के उद्देश्य से ''लाडली लक्ष्मी योजना'' आरंभ की गई है। योजना अन्तर्गत अद्यतन प्रगति निम्नानुसार है :–

क्र	जिला	लाभान्वित बालिकाऐं					
		2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13 अद्यतन
1	उज्जैन	1241	5002	4259	8080	10110	3046
2	देवास	198	1469	5261	3854	4311	3858
3	शाजापुर	911	3201	4637	6269	6395	2517
4	मंदसौर	440	3045	3439	4274	7496	4223
5	रतलाम	814	3848	4142	7266	9887	2388
6	नीमच	434	1872	1971	3601	4450	1896
कुल योग		4038	18437	23709	33344	42649	17928

उषा किरण योजना

परिवार में महिला एवं उसके 18 वर्ष के कम आयु के बच्चे (बालक / बालिका) के साथ परिवार के व्यस्क व्यक्ति द्वारा शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, आर्थिक, मौखिक, भावनात्मक एवं दहेज आदि प्रकार की हिंसा किये जाने पर घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2006 के प्रावधानों अनुसार उषा किरण योजना अन्तर्गत पीडित को संरक्षण एवं सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जिसके अन्तर्गत पीडित को निम्न मुख्य सेवाऐं प्रदान की जाती है :–

1. अस्थायी आश्रय
2. कानुनी सहायता
3. चिकित्सा सुविधा
4. पुलिस सहायता
5. हेल्प लाईन
6. पीडित का पुर्नवास

संरक्षण अधिकारी :– पीडित व्यक्ति घरेलू हिंसा होने पर एकीकृत बाल विकास सेवा के परियोजना अधिकारी (संरक्षण अधिकारी) को शिकायत दर्ज कर सहायता एवं संरक्षण प्राप्त कर सकता है।

सेवा प्रदाता :– संभाग के जिलों मे पुलिस विभाग द्वारा संचालित परिवार परामर्श केन्द्रों एवं जिलों में संचालित आश्रय गृहों को सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत किया है। इन सेवा प्रदाताओं को भी पीडित महिला शिकायत दर्ज करवाकर संरक्षण एवं सहायता प्राप्त कर सकती हैं। रतलाम जिले को छोडकर सभी जिलों में आश्रय गृह की सुविधाए उपलब्ध हैं। जिला रतलाम की पीडित महिलाओं को उज्जैन के शासकीय नारीनिकेतन में आश्रय गृह की सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं।

प्राप्त शिकायत एवं निराकृत का विवरण :–

क्र	जिला	प्राप्त शिकायत	परामर्श से निराकृत	न्यायालय को प्रेषित शिकायत	न्यायालय से निराकृत शिकायत
1	उज्जैन	187	36	95	24
2	देवास	279	06	273	69
3	शाजापुर	816	15	801	323
4	मंदसौर	369	00	369	369
5	रतलाम	151	20	131	34
6	नीमच	171	76	62	03
कुल योग		1973	153	1731	822

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवा, उज्जैन संभाग, उज्जैन
बाल भवन, विक्रम कीर्ति मंदिर परिसर, कोठी रोड, उज्जैन
फोन 0734–2521915,फैक्स 0734–2521915, ईमेल Jdwcdujj@mp.gov.in

क्रमांक / आईसीडीएस / 2012 /   उज्जैन, दिनांक :   / 09 / 2012

प्रति,

आयुक्त महोदय,
उज्जैन संभाग, उज्जैन

विषय :– संभागीय वेब साईड पर विभागीय जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा दिनांक 10.09.2012 को दूरभाष पर दिये निर्देश अनुसार विभाग से संबंधित जानकारी हार्ड कापी एवं सी.डी. पत्र के संलग्न संभागीय वैब साईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

संभागीय संयुक्त संचालक
एकीकृत बाल विकास सेवा
उज्जैन संभाग, उज्जैन